माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

फर्म के मालिक/कों का छायाचित्र मय हस्ताक्षर एवं राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित

बोर्ड की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं के पंचवर्षीय पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र
(संस्करण 2010 से संस्करण 2014 तक)

नोटः– आवेदन पत्र के साथ नियम एवं शर्तों की एक हस्ताक्षरित प्रति तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्रमांक :

1. पुस्तक विक्रेता की दुकान का नाम व पूरा पता, जहां बोर्ड की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का विक्रय किया जाना है। ....
....
....
दूरभाष..मोबाईल..............................
ब्रांच का पता (यदि कोई हो) ....
....
....
2. फर्म के मालिक/भागीदार आदि का नाम व पूरा पता ....
....
....
3. पंजीकरण शुल्क जमा कराने का विवरण (रकम, सचिव, मा.शि.बो. अजमेर के नाम देय हो)
नगद जमा/ बैंक ड्राफ्ट का विवरण राशि ....रसीद/ बैंक ड्राफ्ट संख्या ....
दिनांक ....बैंक का नाम ....
4. दुकान अधिनियम (Shop Act) के तहत पंजीकरण पंजीयन क्रमांक ....दिनांक ....
(पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।)
5. बिक्री कर रजिस्ट्रेशन क्रमांक ....दिनांक ....
(रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।)
6. आयकर अधिनियम के तहत स्थायी खाता संख्या संख्या..दिनांक ....
7. पुस्तक विक्रेता के रूप में व्यवसाय आरंभ करने की तिथि ....
8. आप किस–किस बोर्ड/विश्वविद्यालय की किस स्तर की पुस्तकों का विक्रय वर्तमान में करते हैं। ....
....
....
9. आपके प्रतिष्ठान में कार्यरत वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या ....
10. पुस्तकों के भण्डारण के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है ? भण्डार स्थल का पूर्ण पता ....
....
....
11. पुस्तक विक्रय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय, यदि हो तो लिखें ....
....

12. बैंक/अधिकोषक का नाम, जिसमें आपके प्रतिष्ठान का खाता है। ....

13. पिछले वित्तीय वर्ष में आप द्वारा किये गए व्यवसाय की कुल राशि
सत्र ....
राशि..

घोषणा

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सूचनाऐं, बोर्ड द्वारा जारी निर्देश, जिन पर सहमति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर भी किये हैं, से पूर्णतया सहमत होते हुए, दी हैं। यदि कोई सूचना गलत पाई जाए तो, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को हमारा आवेदन पत्र निरस्त करने, पंजीकरण शुल्क जब्त करने व नियमों/शर्तों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

स्थान ....
दिनांक ....

प्रतिष्ठान के स्वामी/भागीदार या
व्यवस्था निदेशक के
हस्ताक्षर व मुहर

प्रमाणीकरण

(दो मान्य व्यक्तियों जो मा. शि. बोर्ड, राजस्थान के सदस्य, राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय के अभिषद अथवा राजपत्रित अधिकारी हों द्वारा प्रमाणीकरण)

प्रमाणित किया जाता है कि पुस्तक विक्रेता द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है।

1. दिनांक सहित हस्ताक्षर ....
   पूरा नाम ....
   पद की सील ....
   स्थान ....

2. दिनांक सहित हस्ताक्षर ....
   पूरा नाम ....
   पद की सील ....
   स्थान ....

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

बोर्ड की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के विक्रय हेतु पंचवर्षीय पंजीकरण एवं नवीनीकरण की शर्ते व नियम
(संस्करण 2010 से संस्करण 2014 तक के लिए)

1. बोर्ड की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेता आगामी 5 वर्ष के लिए अर्थात संस्करण 2010 से संस्करण 2014 तक के लिए अपना पंजीकरण करा सकते है और जिन पुस्तक विक्रेताओं का पंजीकरण 31 दिसम्बर 2009 को समाप्त हो रहा है वे भी अपना नवीनीकरण संस्करण 2010 से संस्करण 2014 तक के लिए करा सकते है।

2. पंजीकरण/नवीनीकरण के इच्छुक पुस्तक विक्रेता अपना आवेदन–पत्र निम्नांकित तिथियों में अंकित शुल्क के अनुसार प्रस्तुत करें:–

	अंतिम तिथि	पंजीकरण शुल्क मय आवेदन–पत्र शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
(1) बिना विलम्ब शुल्क	26.10.2009	रू. 1600/–	रू. 500/–
(2) विलम्ब शुल्क सहित	11.11.2009	रू. 1700/–	रू 600/–

नोटः–आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद की रसीद के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा।

3. पंजीकरण के लिए विक्रेताओं को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा–

(1) इस हेतु बोर्ड की वैब साईट http://rajeduboard.nic.in से आवेदन–पत्र के प्रारूप को डाउन लोड किया जा सकता है। आवेदन–पत्र बोर्ड कार्यालय से अग्रिम आवेदन शुल्क रू. 100/– जमा करवाकर भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पुस्तक विक्रेता को शेष पंजीकरण शुल्क रू. 1500/– और विलम्ब की स्थिति में विलम्ब शुल्क (रू. 100/–) सहित रू. 1600/– का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(2) नवीनीकरण के लिए पुस्तक विक्रेता अपना आवेदन अपने लैटर हैड अथवा मुहर लगे हुये सादे कागज पर भिजवा सकते हैं जिसके साथ नवीनीकरण शुल्क का ड्राफ्ट अथवा नकद जमा की रसीद और दुकान अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण का नवीनतम प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही फर्म वर्तमान में अस्तित्व में है और सुचारू रूप से चल रही है इस आशय का प्रमाण पत्र सरपंच/नगरपालिका अध्यक्ष/वार्ड मेम्बर से प्राप्त कर अवश्य लगायें।

4. आवेदन पत्र पर प्रतिष्ठान के मालिक एवं भागीदारों के ही हस्ताक्षर होने चाहिए।
5. पंजीयन की शर्तों के प्रतिकूल अथवा भिन्न कोई शर्त या शर्तों में संशोधन करने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. पुस्तक विक्रेता जिनकी अन्य स्थानों पर भी शाखायें हैं उन शाखाओं का पंजीकरण पृथक कराया जा सकेगा।
7. यदि आवश्यक हुआ तो बोर्ड को पंजीयन से पूर्व व पश्चात् कोई अतिरिक्त सूचना या प्रमाण मांगने अथवा उसके कार्यालय, गोदाम एवं संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। इस हेतु प्रतिष्ठान बोर्ड के प्रतिनिधि को निरीक्षण कराने के लिए सदा सहमत होंगे एवं सहयोग प्रदान करेंगे।
8. बोर्ड को प्रतिष्ठान का अचानक निरीक्षण करने अथवा दस्तावेजों एवं वितरण प्रणाली की जांच करने का भी अधिकार होगा। जिसके लिये पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।
9. किसी भी पुस्तक विक्रेता का पंजीयन तभी किया जायेगा, जबकि बोर्ड प्रतिष्ठान के अनुभव, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, कार्य स्तर, क्षमता एवं आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में पूर्णतया आश्वस्त हो जायेगा।
10. बोर्ड को किसी भी पुस्तक विक्रेता का आवेदन अस्वीकार करने अथवा पंजीयन निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. अपने आवेदन पत्र में दुकान अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण, बिक्रीकर रजिस्ट्रेशन व आयकर अधिनियम के अन्तर्गत चाही गई सूचनाएं/प्रमाणित प्रतिलिपियां अनिवार्यतः प्रेषित करनी होगी। बोर्ड को किसी पंजीकृत पुस्तक विक्रेता के असंतोषजनक कार्य एवं व्यवहार के आधार पर पंजीयन निर्धारित समय से पूर्व ही निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. आवेदन पत्र में दी गई सूचना का प्रमाणीकरण, दो मान्य व्यक्तियों जो मा. शि. बोर्ड, राजस्थान के सदस्य, राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय के अभिषद अथवा राजपत्रित अधिकारी हों से कराना आवश्यक होगा।
13. पुस्तक विक्रेताओं को पुस्तकें प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित वर्ष के लिये बोर्ड द्वारा जारी मांग पत्र में अपनी मांग निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करनी होगी।
14. साधारणतया पुस्तक विक्रेताओं के चाहे अनुसार पुस्तकें विक्रेय हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। किन्तु विक्रय हेतु दी जाने वाली पुस्तकों की संख्या यदि आवश्यक हुआ तो बोर्ड द्वारा तय की जायेगी तथा उसी अनुपात में ही पुस्तकें विक्रय हेतु बोर्ड/वितरक द्वारा दी जायेगी।

15. बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही पुस्तकों का विक्रय करना होगा। यदि किसी पुस्तक विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करना अथवा बोर्ड की पुस्तकों के साथ अन्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री लेने हेतु ग्राहक को बाध्य करना पाया गया तो बोर्ड को उसका पंजीयन निरस्त करने तथा जमा राशि जब्त करने का अधिकार होगा साथ ही भविष्य के लिये उसे बहिष्कृतों की सूची में शामिल कर लिया जायेगा।
16. पंजीकरण हेतु प्रथम बार आवेदन करने वाले पुस्तक विक्रेता का आवदेन पत्र योग्य नहीं पाये जाने पर निरस्त कर दिया जायेगा तथा पंजीयन शुल्क की राशि नहीं लौटाई जायेगी।
17. समय पर नवीनीकरण नहीं कराए जाने के कारण पर पंजीयन निरस्त होने पर पुस्तक विक्रेता को पुनः नये सिरे से पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा।
18. वर्तमान में बोर्ड के अजमेर स्थित गोदाम से पुस्तकें उपलब्ध कराने की स्थिति में अजमेर शहर के पुस्तक विक्रेताओं को पुस्तकों पर अंकित मूल्य में से लेवी की राशि हटाने के पश्चात् 15 प्रतिशत कमीशन तथा अजमेर शहर से बाहर के अन्य पुस्तक विक्रेताओं को 17 प्रतिशत कमीशन देय होगा। किन्तु बोर्ड/वितरक द्वारा जिला मुख्यालय पर पुस्तकें उपलब्ध कराने की स्थिति में समस्त पुस्तक विक्रेताओं को अंकित मूल्य में से लेवी की राशि हटाने के पश्चात् 15 प्रतिशत कमीशन ही देय होगा। पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को व्यापारिक कमीशन, बटट्े की दरों आदि के संबंध में बोर्ड के नियमों, निर्देशों एवं समय/समय पर उनमें किये गये संशोधनों का अनिवार्यतः स्वीकार कर पालन करना होगा।
19. पुस्तक विक्रेताओं को बोर्ड की सभी पुस्तकें नकद भुगतान पर ही दी जायेगी। यदि पुस्तक विक्रेता द्वारा मंगवाई गई पुस्तकों में से किसी कारण वश कुछ पुस्तकें शेष रह जाती है तो उक्त पुस्तकें पार्सल द्वारा भिजवाये जाने पर होने वाला व्यय पुस्तक विक्रेता को ही वहन करना होगा।
20. बोर्ड की सभी पुस्तकें बोर्ड द्वारा पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं राज्य के सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सहकारी समितियों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही विक्रय हेतु दी जायेगी।
21. संलग्न शपथ पत्र को रूपये 10/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर मय गवाह के हस्ताक्षर एवं नाम—पते तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
22. यदि बोर्ड समस्त राजस्थान में पुस्तकों की एक साथ निश्चित तिथि से बिक्री प्रारम्भ करने के बारे में निर्णय लेता है तो पुस्तक विक्रेता उस तिथि से ही विक्रय प्रारम्भ करेगा।
23. आवेदनकर्त्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न, उपरोक्त नियम, शर्तों की एक प्रति पर सहमति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर भेजना अनिवार्य है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तों से सहमत है।

हस्ताक्षर आवेदनकर्त्ता
(मय मुहर)

शपथ–पत्र
(रू. 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैंने/हमने पुस्तक विक्रेताओं के पंजीयन की उपर्युक्त शर्तों एवं नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है।

1. मैं/हम ....मालिक/संचालक...(फर्म का नाम) प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की राष्ट्रीयकृत पुस्तकें बेचने के लिये एवं पुस्तक विक्रेता पंजीकरण नियमों एवं शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करेंगें। इन नियमों का पालन नहीं करने की दशा में सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर पंजीकरण निरस्त कर सकेगा एवं किसी प्रकार का जुर्माना जो इन नियमों का पालन नहीं करने की दशा में किया जायेगा, मैं उसे देने को बाध्य रहूँगा।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा विभिन्न कक्षाओं की स्वीकृत पुस्तकों के अतिरिक्त किसी प्रकार की अनाधिकृत पुस्तक इन कक्षाओं हेतु नहीं बेचूंगा। इस धारा में वर्णित अनाधिकृत पुस्तकों से अभिप्राय निम्न है–

(क) अधिकृत पुस्तक की नकली प्रतिलिपि।
(ख) बोर्ड को विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर लिखी गई कोई पुस्तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो।

3. पुस्तकों की बिक्री के लिये प्रत्येक पुस्तक का स्टॉक रजिस्टर निम्न प्रारूप में रखूंगा। पुस्तकों को बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही बेचूंगा। पुस्तकों को निर्धारित/अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं बेचूंगा तथा प्रत्येक विक्रय के लिये केश मीमो काटूंगा।

स्टॉक रजिस्टर प्रारूप

पुस्तक का नाम .... मूल्य...

दिनांक	शेष पुस्तकें	प्राप्त	योग	बिक्री	शेष	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

4. मैं बोर्ड की विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अधिकृत रूप से प्रकाशित/स्वीकृत पुस्तकों के साथ अन्य पुस्तकें/सहायक सामग्री लेने हेतु ग्राहक को बाध्य नहीं करूँगा।
5. किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के सचिव द्वारा अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा चाही गई सूचना स्वेच्छा पूर्वक दूंगा।
6. बोर्ड की सभी अधिकृत पाठ्य पुस्तकों की विद्यार्थियों को बेचने के लिये जो मेरी दुकान से लेना चाहे पर्याप्त स्टॉक रखूंगा तथा गोदाम की व्यवस्था रखूंगा।
7. दुकान का स्थान बदलने अथवा बन्द करने की स्थिति में उसकी सूचना तुरन्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को दूंगा।
8. बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही पुस्तकें बेचूंगा। यदि किसी पुस्तक का स्टॉक शेष है और बोर्ड ने संशोधन कर उसका मूल्य घटा दिया है तो शेष स्टॉक की पुस्तकें भी घटे हुए मूल्य पर बेचूंगा। बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य से यदि अधिक मूल्य पर पुस्तकें बेचने की शिकायत प्राप्त हो तो बोर्ड को पूर्ण हक होगा कि अधिक वसूल की गई राशि हमारी फर्म से वसूल कर लें एवं पंजीकरण रद्द कर दें।
9. बोर्ड के नियमों का पालन करता रहूंगा। निर्धारित अवधि में नवीनीकरण शुल्क भरता रहूँगा और मान्य बिक्री तथा आयकर निष्पादन प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त कर प्रति वर्ष बोर्ड के निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करता रहूंगा।
10. मैं/हमारे द्वारा किसी प्रकार के नियमों अथवा इस इकारारनामें की किसी शर्त का उल्लंघन करने पर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को पंजीकरण रद्द करने का अधिकार रहेगा।
11. किसी भी विवाद की दशा में, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर का निर्णय मान्य होगा।

उपरोक्त नियमों व शर्तों के पालन की आज दिनांक .... माह ....सन् .... को शपथ लेता हूँ/लेते हैं।

हस्ताक्षर गवाह मय नाम व पता
स्पष्ट शब्दों में

हस्ताक्षर दुकानदार, मय नाम,
दुकान व पूरा पता

प्रमाणित नोटरी पब्लिक
मय सील

नोट– शर्तें–नियम की हस्ताक्षरित प्रति व शपथ पत्र (रू. 10/– के स्टाम्प पर टंकित) को आवेदन पत्र के साथ ही वापस लौटाना है।